का जवाब परगना राज की ओर से कभी अवसर दिये जाने के बावजूद पेश नहीं किया गया है। पूर्व आदेशिका में आवश्यक अवसर दिया गया था अतः जवाब प्राप्त बन्द किया जाकर उभय पक्ष की प्रा०पत्र 7/11 cpc पर बहस सुनी गयी मिसल वास्ते आदेश प्रा०पत्र 7/11 cpc दिनांक 15-12-17 को पेश हो।

15-12-17

पत्रावली पेश हुयी वकुलाए उभयपक्ष उप० प्रतिवादी/प्रार्थी सं० 1/1 से 1/4 व 2 से 4 की ओर से पेश प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC एवं वकील प्रतिवादी की बहस के तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है वादग्रस्त कृषि भूमि खेत ख०नं० 186 तादादी 62 बीघा 16 बिस्वा रोही कस्बा चूरू की भूमि है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। तहसीलदार चूरू द्वारा अपने दावा की मद सं० 3 में कृषि भूमि ख०नं० 948 व 959 तादादी क्रमशः 11.10 व 14 बीघा भूमि रोही कस्बा चूरू में अकृषि उपयोग में लेने व भूमि का स्वरूप परिवर्तन करने की एवज में सिवायचक घोषित करने का अनुतोष चाहा है। उक्त भूमि से हम प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध-सरोकार नहीं है। इसलिए हम प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा की कार्यवाही खारिज फरमाई जावे। साथ ही प्रतिवादीगण की कब्जा काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि ख०नं० 186 तादादी 62-16 बीघा रोही चूरू बाबत मद सं० 3 में अंकित किया गया है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में इस न्यायालय में दावा सं० 43/13 अनुवान मूर्ति मन्दिर लक्ष्मीनाथ जी जरिये महन्त योगेन्द्रदास बनाम सीताराम आदि एवं दावा अनुवान मूर्ति मन्दिर जरिये सुरेन्द्रकुमार बनाम सीताराम आदि पहले से ही बाबत घोषणात्मक एवं चिरस्थाई निषेधाज्ञा के जेरकार हैं। जब किसी न्यायालय में कृषि भूमि के सम्बन्ध में घोषणात्मक

उपखण्ड अधिकारी

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं चिरस्थायी निषेधाज्ञा के वाद जेरकार है तो ऐसी सूरत में उसी कृषि के सम्बन्ध में कानूनन धारा 177 की कार्यवाही विधि द्वारा वर्जित होने खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही इसी ख०नं० 186 की खातेदारी अदालतवाला के निर्णय दिनांक 24.05.17 को निरस्त करवाये जाने एवं मन्दिर के नाम से खातेदारी अंकित करने का रेफरेन्स प्रा०पत्र 85/2001 अनवरी मालाराम बनाम मंगतूराम आदि के नाम से राजस्व मण्डल, अजमेर के न्यायालय में जेरकार है। इस प्रकार से जब अपर न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही चल रही है तब अवर न्यायालय में किसी भी प्रकार का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इस प्रकार से उक्त दावा विधि द्वारा वर्जित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा इसी स्तर पर खारिज किया जावे। पैरोकार राज द्वारा उक्त प्रा०पत्र का जवाब काफी अवसर दिये जाने के बावजूद भी पेश नहीं किया गया है। वकील प्रार्थीगण/प्रतिवादी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में दो दावे पहले से ही इस न्यायालय में घोषणात्मक व चिरस्थायी निषेधाज्ञा बाबत विचाराधीन है तथा उक्त दावों के साथ धारा 212 के प्रा०पत्र में ता फैसला दावा स्थगन आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया हुआ है ऐसी स्थिति में धारा 177 के प्रकरण के तथ्य स्वत: ही असत्य व निरर्थक सिद्ध होते है। साथ ही एक ही कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रकरण एक ही न्यायालय में एक साथ नहीं चल सकते तथा विधि द्वारा वर्जित भी है। अत: प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर धारा 177 की कार्यवाही इसी स्तर पर खारिज की जावे।	

वकील प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं बहस में उल्लेखित तथ्यों के मद्देनजर इस न्यायालय में विचाराधीन दावा सं० 49/11 व 56/2011 अनवाती मन्दिर मूर्ति लक्ष्मीनाथ बनाम धीगाराम आदि एवं प्रार्थना सं० 38/11 व 41/11 का अवलोकन किया गया। उपरोक्त अनवाती दावों व प्रार्थना पत्रों की प्रश्नगत कृषि भूमि ख०नं० 186 तादादी 62.16 बीघा रोही कस्बा चूरू है तथा इस दावा की कृषि भूमि भी यही कृषि भूमि है। प्रार्थना पत्र सं० 38/11 में न्यायालय द्वारा दिनांक 26-05-11 को अन्तरिम अस्थाई स्थगन आदेश जारी होकर आगे कार्यवाही जेरकार है। इस प्रकार वादगत कृषि पर दिनांक 26-05-11 से स्थगन आदेश जारी होने का तथ्य पाया जाता है जबकि इस धारा 177 के प्रकरण तहसीलदार चूरू द्वारा दिनांक 05-01-12 को पेश किया गया है इस प्रकार वादगत कृषि भूमि पर दिनांक 05-01-12 से पूर्व में ही स्थगन आदेश जारी होने से तहसीलदार चूरू द्वारा पेश प्रकरण में अंकित तथ्य प्रथम दृष्टया ही गलत प्रतीत होते हैं। इस न्यायालय में जेरकार दावों व इस प्रकरण की वादगत कृषि भूमि एक ही होने का तथ्य भी स्पष्ट होता है जिससे एक ही न्यायालय में एक ही कृषि भूमि से सम्बन्धित प्रकरण नियमानुसार चलने योग्य नहीं है। साथ ही धारा 177 के प्रकरण के तथ्य भी दस्तावेजों के अवलोकन से गलत प्रतीत होते हैं जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 CPC का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर इसी स्तर पर ड्रॉप किया जाता है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कमती बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official